शामिल किये जाने की चर्चा कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किये जाने संबंधी अनुरोधों तथा अधिक शामिल किये जाने और कम शामिल किये जाने संबंधी आरोपों की सुनवाई, करने इनकी जांच करने तथा तत्संबंधी सिफारिश करने हतु एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है। आयोग द्वारा दी गई सलाह सामान्यतः सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।

(ख) अब तक सरकार ने निम्नलिखित राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित कर दी है। तबसे अब तक राजस्थान, उड़ीसा राज्यों तथा दमन और द्वीव और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों ने अन्य पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित कर दी है। सरकार अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में इन अन्य पिछड़े वर्गों को शामिल करने संबंधी कार्रवाई कर रही है। जहां तक उन अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है जिन्हें अभी अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करनी है जैसे ही ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अन्य पिछड़े वर्गों की सूची अधिसूचित करते हैं, वैसे ही उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त कारवाई की जाएगी।

अतः एव कोई समय सीमा दे पाना संभव नहीं होगा क्योंकि यह संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर निर्भर करता है, क्योंकि यह एक पूर्व आवश्यकता है।

(ग) तथा (घ) ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 में संशोधन किये जाने से संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम किये जाने के बाबत अब कोई प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा वित्तीय संस्थानों सहित भारत सरकार के अधीन सिविल सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

Reservation Benefits to Scavangers

1810. SHRI RAJNI RANJAN SAHU :

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR :

SHRIMATI VEENA VERMA :

Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lakhs of scavangers belonging to Muslim, Christian and Sikh religions have been deprived of the benefits of reservaions, due to reclassification of scavangers, non-Hindu scavangers have been classified as "Backwards", and

(b) if so, what steps have been taken to ensure and secure due benefits of reservations to all the scavangers ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) and (b) According to para 3 of various Presidential Orders specifying the list of Scheduled Castes, no person who professes a religion other than the Hindu, the Sikh or the Budhist shall be deemed to be a member of Schedule-Caste.

Scavengers other than SCs & STs classified as other Backward Classes have been made eligible for reservation in services of Central Government and its public sector undertaking w.e.f. 8th September, 1993.

All India Women's Conference

1811. SHRIMATI VEENA VERMA : will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that All India Women's conference held on Saturday 12th February, 1994 suggested more stringent penalties for rapists, in veiw of the growing incidence of rapes, particularly those pertaining to minor girls;

(b) if so, what were the precise observations and suggestion made at the conference; and

(c) what was Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SMT. BASAVARAJESWARI) : (a) No, Sir. The All India Women's Conference, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi has reported that no such conference was held on Saturday 12th February, 1994 on their premises. The National Commission for Women also has not held any such meeting.

(b) and (c) Do not arise.

मल और कूड़ा ढोने के पेशों में लगे व्यक्ति

1812. **अजीत जोगी :**

चौधरी हरि सिंह :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मल और कूड़ा ढोने के धंधे में लगे परिवारों के व्यक्तियों को इस धंधे से एक निश्चित समय में मुक्त कराने की भारत सरकार की कोई नीति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पेशे में कार्यरत परिवारों के सभी बच्चों को सरकार द्वारा शुरु की गयी विशेष छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जाएगा ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इनको भंगी मुक्ति योजना के तहत लाभ देने का इरादा नहीं है ;

(घ) क्या इस तरह के परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति के लाभ देने के लिए परिवार की कोई अधिकतम आय-सीमा निर्धारित की गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वर्तमान में यह सीमा व्यवहार्य है और क्या इससे इस पेशे में लगे परिवारों को शिक्षा देने का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना में हाथ से मैला साफ करने की प्रथा को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समाप्त करने की परिकल्पना की गई है ।

(ख) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शुष्क शौचालयों के सफाई कर्मियों, चर्मकारों, चर्मशोधकों तथा सफाई कर्म से परम्परागत रूप से जुड़े सफाई कर्मचारियों के सभी बच्चे कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे बशर्ते यदि तीसरे अथवा परवर्ती बच्चे का जन्म 1-4-93 के बाद होता है अतः इस योजना के तहत केवल दो बच्चे पात्र होंगे । यह योजना कक्षा 9 और 10 में केवल दो बच्चों के लिए उपलब्ध होगी ।

(ग) सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा विभिन्न ट्रेडों और व्यवसायों में उनका पुनर्वास किया जाता है ताकि उन्हें स्व-रोजगार प्रदान किया जा सके ।

(घ) तथा (ङ) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आय की अधिकतम सीमा 25-2-94 से हटा दी गई है । तथापि, प्रत्येक लाभग्राहियों से इस बाबत एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना होता है कि अभी तक माता-पिता में से कम से कम एक अस्वच्छ व्यवसाय अर्थात् हाथ से मैला साफ करने, चर्म कार्य करने, चर्मशोधन करने में लगा हुआ है अथवा वे झाड़ूदार जो सफाई कर्म से परम्परागत रूप से जुड़े हुए हैं।

Population of Disabled Persons in the Country

1813. MISS SAROJ KHAPARDE : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :